

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (32)एम.ई./ग्रुप-1/1994

जयपुर, दिनांक 19/10/17

आदेश

डॉ० आई०डी० गुप्ता, वरिष्ठ आचार्य, मनोरोग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर का अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.07.2018 को मध्याह्नः पश्चात् सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ० आई०डी० गुप्ता, वरिष्ठ आचार्य, मनोरोग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के विरुद्ध आज तक :-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,


(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
5. डॉ० आई० डी० गुप्ता, वरिष्ठ आचार्य, मनोरोग मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर ।
6. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव